कार्यालय पुलिस नियंत्रण कक्ष आयुक्तालय जोधपुर

प्रेस–नोट
(दिनांक 04.08.2024)
आयुक्तालय जोधपुर

श्री राजेंद्र सिंह पुलिस आयुक्त जोधपुर के निर्देशानुसार पुलिस आयुक्तालय जोधपुर में अवैध शराब बिक्री एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम तथा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध दिनांक 03.08.2024 को वक्त 07.00 पी.एम. से 11.00 पी.एम. तक पुलिस आयुक्तालय जोधपुर क्षेत्र में धारा 185 एम.वी.ी एक्ट में कार्यवाही एवं शराब के ठेकों की चैकिंग का अभियान चलाया गया।

पुलिस आयुक्तालय जोधपुर क्षेत्र में समस्त वृत सहायक पुलिस आयुक्तगण के नेतृत्व में समस्त पुलिस थाना अधिकारीयों को अपने–अपने थाना क्षेत्र में स्थित शराब के ठेकों की चैकिंग एवं शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध धारा 185 एम.वी.ी एक्ट में कार्यवाही करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

श्री पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशो की पालना में पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के समस्त वृत अधिकारीयों ने अपने–अपने क्षेत्र के सभी थाना अधिकारी एवं पुलिस बल को इस अभियान के संबंध में ब्रीफ कर अलग–अलग टीमें बनाकर ज्यादा से ज्यादा कार्यवाही करने हेतु रवाना किया गया।

दौराने अभियान जोधपुर आयुक्तालय जिला पूर्व एवं जिला पश्चिम में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही व शराब के ठेकों की चैकिंग अभियान में समस्त पुलिस थाना आयुक्तालय जोधपुर द्वारा कुल 137 शराब के ठेकों को चैक किया गया तथा चैकिंग के दौरान जो व्यक्ति शराब पीकर वाहन चलाते पाया गया उसके खिलाफ धारा 185 एम.वी.ी एक्ट के तहत् चालान की कुल 30 कार्यवाही की गई।

आमजन से आग्रह है कि आपके आस–पास क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गैरकानूनी, अनैतिक, अवैध शराब/मादक पदार्थ बिक्री व संदिग्ध व्यक्ति आदि की जानकारी होने पर इसकी सूचना तुरंत संबंधित पुलिस थाना या पुलिस नियंत्रण कक्ष 100/112 पर सूचित करे।

प्रभारी

पुलिस नियंत्रण कक्ष,
आयुक्तालय जोधपुर।